

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)

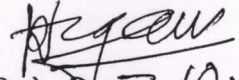
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. : 14726 / 22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-1/414/21 भोपाल दिनांक : 07/10/2021

:आदेश:

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा जारी ADDENDUM-01 (SSR w.e.f. 05.11.2019) जो कि कार्यालयीन आदेश क्रमांक 6844/22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-1/414/21 भोपाल दिनांक 27.04.2021 द्वारा जारी किया गया था। उक्त ADDENDUM-01 के आदेश में उल्लेखित आयटम नम्बर 3.3 F एवं आयटम नम्बर 4.12 (VI) को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये (SSR w.e.f. 05.11.2019) से पृथक किये जाते हैं।

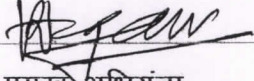
अतः आयटम नम्बर 3.3 F एवं आयटम नम्बर 4.12 (VI) अब SSR w.e.f. 05.11.2019 का हिस्सा नहीं है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(पी.के. सिंगम) 10.21
प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र. 14777 / 22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-1/414/21, भोपाल दि. : 07/10/2021
प्रतिलिपि -

1. निर्देशक (तक), एनआरआरडीए, पंचम तल, एनबीसीसी टॉवर, भकाजी कॉमा प्लेस, नई दिल्ली
2. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
3. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
4. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
5. STA, MANIT Bhopal, Govt. Engg. College Jabalpur, GSITS Indore & MITS Gwalior को सूचनार्थ ।
6. महाप्रबंधक-तक. (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
7. महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू को सूचनार्थ ।
8. प्रबंधक आईटी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि Addendum पत्र को www.mprda.com वेबसाइट पर अपलोड करें।


प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

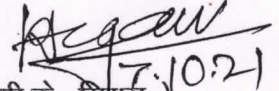
क्र. : 14478 / 22 / वि-12 / ग्रा.स.वि.प्रा. / टी-1 / 414 / 21 भोपाल दि. : ०७ / 10 / 2021

ADDENDUM-02 (SSR w.e.f. 05.11.2019)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा जारी एसएसआर (दिनांक. 05.11.2019 से लागू) के अध्याय क्रमांक 03 में आयटम क्रमांक 3.10 एवं अध्याय क्रमांक 04 में आयटम क्रमांक 4.22 सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित जोड़ा जाता है -

SSR Item No	Description	Unit	Rate in Rs
3.10	Collection of material for embankment subgrade & earthen shoulders with approved material (Select soil having CBR > 7) obtained from borrow pits i/c all leads and lift and removal of top soil if any, including cost of land as a source of material, transporting to site, spreading, i/c royalty.	Cum	104.0
4.22	Collection of gravel/soil-aggregate base of CBR> 80 by Providing well graded material, spreading in uniform layers with Dozer i/c royalty.	Cum	591.0

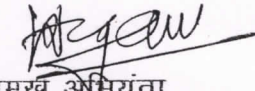
उपरोक्तानुसार आयटम एसएसआर (दिनांक 05.11.2019 से लागू) में अध्याय क्रमांक 03 एवं 04 में अतिरिक्त आयटम के रूप में जोड़ा गया है। यह ADDENDUM तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(पी.के. सिंग)
प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र. 14478 / 22 / वि-12 / ग्रा.स.वि.प्रा. / टी-1 / 414 / 21, भोपाल दि. : ०७ / 10 / 2021
प्रतिलिपि

1. निर्देशक (तक), एनआरआरडीए, पंचम तल, एनबीसीसी टॉवर, भकाजी कॉमा प्लेस, नई दिल्ली
2. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
3. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
4. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
5. SIA, MANIT Bhopal, Govt. Engg. College Jabalpur, GSITS Indore & MITS Gwalior को सूचनार्थ ।
6. महाप्रबंधक-तक. (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
7. महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू को सूचनार्थ ।
8. प्रबंधक आईटी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि Addendum पत्र को www.mprda.com वेबसाइट पर अपलोड करें।


प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)